न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान पडरौना।

एफ०आर०वाद नं०-02/2018

सरकार बनाम अज्ञात

05.02.2018

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी मुकदमा प्रवीण कुमार गुप्ता मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का कथन किया गया है, कि वादी मकुदमा के तहरीर पर पुलिस थाना-रामकोला द्वारा मु०अप०सं०-208/2017, अन्तर्गत धारा-3/7 E.C.Act, थाना-रामकोला, जिला-कुशीनगर में अंतिम आख्या-B-42/2017 न्यायालय में प्रेषित की गयी है। प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अंतिम आख्या स्वीकार कर लिया जाय।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाना-रामकोला, जनपद-कुशीनगर द्वारा मु०अप०सं०-208/2017, अन्तर्गत धारा-3/7 E.C. Act, थाना-रामकोला, जिला-कुशीनगर के मामले में अंतिम रिपोर्ट सं०-B-42/2017 दिनांकित 14.12.2017 प्रेषित की गयी है। जिस पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वह समक्ष न्यायालय उपस्थित आया और उनके द्वारा द्वारा शसपथ बयान में कहा है कि पुलिस द्वारा दाखिल अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हैं। वह पुलिस द्वारा की गयी विवेचना से संतुष्ट है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने से प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर साक्ष्य अंकित करायी है, जिसमें कथन किया है, कि उनको विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। मेरे द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। इसके पश्चात विवेचक द्वारा विवेचना सम्पन्न की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त गोविन्द पुत्र सरल के विरूद्ध कोई अपराध न पाते हुये अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किया है, मुझे विवेचक के विवेचना से आपत्ति नहीं है, विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तिम रिपोर्ट के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि वादी मुकदमा अब आगे वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहतरा है और मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी प्रवीण कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मु०अप०सं०-208/2017, अन्तर्गत धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना-रामकोला, जिला-कुशीनगर के मामले में विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या-B-42/2017 दिनांकित 14.12.2017 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सी०जे०एम०, कुशीनगर।